



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08022025-260799
CG-DL-E-08022025-260799

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 617]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 6, 2025/माघ 17, 1946

No. 617]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 6, 2025/MAGHA 17, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2025

का.आ. 621(अ).— केंद्रीय सरकार ने, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सिंगबा रोडोडेनड्रोन वन्यजीव अभयारण्य, सिंक्लिम के आसपास एक पारिस्थितिकी संवेदी जोन घोषित करने के लिए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में, संख्यांक का.आ. 2169(अ), तारीख 27 अगस्त, 2014 द्वारा एक अधिसूचना जारी की थी ;

और, केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना का संशोधन करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है ;

और, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 का उपनियम (4) यह उपबंध करता है कि जब भी केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, तो वह पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति दे सकती है;

और, केंद्रीय सरकार की यह राय है कि अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2169 (अ), तारीख 27 अगस्त, 2014 में संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना लोकहित में है;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड

(xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में, संख्यांक का.आ. 2169 (अ), तारीख 27 अगस्त, 2014 द्वारा प्रकाशित, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, पैरा 5 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखे जाएंगे, अर्थात्:—

“5. मानीटरी समिति—(1) केंद्रीय सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी मनीटरी के लिए एक मनीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:

1. मुख्य सचिव, सिक्किम सरकार	अध्यक्ष, पदेन;
2. मुख्य वन्य जीव वार्डन, सिक्किम सरकार	सदस्य, पदेन;
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सिक्किम सरकार	सदस्य, पदेन;
4. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन;
5. गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान, प्रादेशिक केंद्र सिक्किम से पारिस्थितिकी/पर्यावरण/वन्यजीव में एक विशेषज्ञ को तीन वर्ष के लिए सिक्किम सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।	सदस्य;
6. पर्यावरण/वन्यजीव (विरासत संरक्षण सहित) के क्षेत्र में काम करने वाले एक गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि, जिसे सिक्किम सरकार द्वारा तीन वर्ष के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।	सदस्य;
7. ग्रामीण प्रबंधन और विकास विभाग, सिक्किम सरकार का एक प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन;
8. कृषि विभाग, सिक्किम सरकार का एक प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन;
9. शहरी विकास और आवास विभाग, सिक्किम सरकार का एक प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन;
10. संबंद्ध जिला कलेक्टर	सदस्य, पदेन;
11. प्रभागीय वन अधिकारी (संरक्षित क्षेत्र के प्रभारी)	सदस्य, पदेन;
12. मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव)	सदस्य-सचिव, पदेन;

(2) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित है, जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, मनीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या यथास्थिति, राज्य पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकारी को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) उन क्रियाकलापों की, जो उपपैरा (2), में निर्दिष्ट अधिसूचना की अधिसूची में सम्मिलित नहीं है और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैर 4 के अधीन सारणी में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के मनीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उसे सम्बद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या कलेक्टर या उप वन संरक्षक, किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(5) मानीटरी समिति, मामले- दर मामले के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए, विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, जौद्योगिक संगमों या पण्डारियों के प्रतिनिधियों को, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए, आमंत्रित कर सकेगी।

(6) मानीटरी समिति, प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अवधि के अपने क्रियालापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट, उस वर्ष की 30 जून तक मुख्य वन्यजीव वार्डन को उपांचंद- III में विनिर्दिष्ट निदर्शन पत्र प्रस्तुत करेगी ।

(7) केंद्रीय सरकार, मानीटरी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए, लिखित में ऐसे निदेश दे सकेगी, जो वह उचित समझे ।”

[फा. सं. 25/09/2013-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सु. केरकेटा, वैज्ञानिक 'जी'

टिप्पणि:- मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में विस्तृत का. आ. 2169(अ), तारीख 27 अगस्त, 2014 द्वारा प्रकाशित की गई थी और का.आ. 2169(अ), तारीख 31 अक्टूबर, 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 6th February, 2025

S.O. 621 (E).— WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification to declare an Eco-Sensitive Zone around Shingba Rhododendron Wildlife Sanctuary, Sikkim in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 2169 (E), dated the 27th August, 2014;

AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification;

AND WHEREAS sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986;

AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 2169 (E), dated the 27th August, 2014;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section(3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 2169 (E), dated the 27th August, 2014, namely:-

In the said notification, for paragraph 5, the following paragraphs shall be substituted, namely: -

“5. **Monitoring Committee.** - (1) The Central Government shall constitute a monitoring committee for effective monitoring of the Provisions of this notification consisting of the following persons, namely: -

i.	Chief Secretary, Government of Sikkim	Chairman, ex officio;
ii.	Chief Wild Life Warden, Government of Sikkim	Member, ex officio;
iii.	Principal Chief Conservator of Forest, Government of Sikkim	Member, ex officio;
iv.	Representative of State Pollution Control Board	Member, ex officio;
v.	One expert in ecology/environment/wildlife from Govind Ballabh Pant National Institute of Himalayan Environment, Regional Centre Sikkim to be nominated by the Government of Sikkim after every three years	Member;
vi.	One representative of a Non-Governmental Organization working in the field of Environment/Wildlife (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Sikkim after every three years	Member;
vii.	One Representative of Rural Management and Development Department, Government of Sikkim	Member, ex officio;
viii.	One Representative of Agriculture Department, Government of Sikkim	Member, ex officio;
ix.	One Representative of Urban Development and Housing Department, Government of Sikkim	Member, ex officio;
x.	Concerned District Collector	Member, ex officio;
xi.	Divisional Forest Officer (In-charge of PA)	Member, ex officio;
xii.	Chief Conservator of Forest (Wild Life)	Member Secretary, ex officio.

- (2) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions scrutinise, the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case maybe, for prior environmental clearances under the provisions of that notification.
- (3) The activities not covered in the Schedule to the notification referred to in sub-paragraph (2) and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the regulatory authorities concerned.
- (4) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the Collector or the Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (5) The Monitoring Committee may invite a representative or expert from the Department, a representative from the industry associations or stakeholders to assist the committee in its deliberations depending on the requirements on a case to case basis.

(6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities for the period up to the 31st March of every year to the Chief Wildlife Warden in pro forma specified in Annexure- III by the 30th June of that year.

(7) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions”.

[F. No. 25/09/2013-ESZ/RE]

Dr. S. KERKETTA, Scientist “G”

Note.- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* S.O. 2169(E), dated the 27th August, 2014 and was last amended *vide* S.O. 4749(E), dated the 31st October, 2023.